

साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न: भारत के संदर्भ में चुनौतियाँ और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत: अक्षत खेतान

जयपुर (कास)। अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी सलाह उपलब्ध कराने वाली अप्रणी संस्था, AU कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज (AUCL) ने भारत में साइबर-बुलीइंग के खंतरे का सम्मन कर रहे हैं ब्यक्ति की अनप्रोत्त जिंदगी बचाने और उसकी हिफाजत करने के लिए, साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध एवं साइबर उत्पीड़न के खेत्र में नई राह दिखाने वाली पहल की शुरुआत की है। आज के डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति के साथ लोगों के बीच आपसी संपर्क, बातचीत करने और जानकारी साझा करने के तरीके में बढ़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि, टेक्नोलॉजी में इस जबरदस्त प्रगति ने साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न जैसी नई चुनौतियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, जो भारत के साथ-साथ दुनिया भर में एक बड़ी सामाजिक चुनौती के तौर पर



उभरकर सम्मने आ रहे हैं। भारत जैसे देश में ये समस्याएं विशेष रूप से गंभीर हैं, जहाँ इंटरनेट के उपयोग में तेजी से बढ़ोतारी हुई है। परंतु सम्मने आने वाले ऑनलाइन ख़तरों की तुलना में इसे नियमों के दायरे में लाने वाली व्यवस्था और जागरूकता काफी पोछे हैं। इस मौके पर कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज (AUCL) के संस्थापक, अक्षत खेतान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारत

धेरे-धेरे डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए, साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न की बजह से सामने आने वाले ख़तरों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, कानून लागू करने वाली संस्थाओं और आम लोगों को इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत इस मौद्रे के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला कानूनी ढांचा तैयार करके, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और कानून लागू करने वाली संस्थाओं को मजबूत करके, इन ऑनलाइन ख़तरों के हानिकारक प्रभावों को कम करने की शुरुआत कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि इंटरनेट अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित बना रहे हैं।

गणीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में हर साल साइबर धोखाधड़ी के लगभग

77769 मामले दर्ज किए जाते हैं और लगातार बढ़ रही इस समस्या पर कानूनों के लिए पर्याप्त कानूनी उपायों की आवश्यकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, AUCL पौद्यतिं ने वालात से उभरने में मदद करने के लिए युवा सलाहकारों की सेवा उपलब्ध कराएगा, साइबर अपराध पुलिस ट्रैम की मदद करेगा, कानूनी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा, साथ ही पूरे राजस्थान के कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रमों एवं सामाजिक अभियानों का संचालन भी करेगा। इसके अलावा, समाज को इस समस्या के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए, एहु की ओर से सेमिनार, सम्मेलनों, पैनल चर्चाओं, कैम्पस स्टॉडी के विश्लेषण, रोड-शो, बॉक्स्थोन, कैंडल-लाइट मार्च, स्किट, कला प्रदर्शनी, वाद-विवाद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा।